01.02.2020 राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

प्रकरण आवेदक की उपस्थिति एवं खात्मा रिपोर्ट हेतु नियत है।

आवेदक स्वयं उपस्थिति।

आवेदक के खात्मा कथन अंकित किये गये।

प्रकरण पर आदेश हेतु नियत किया जाता है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचनाकर्ता महेश पंवार द्वारा दिनांक 06.07.19 को पुलिस थाना बेटमा पर धारा 379 भा.द.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी जिसके आधार पर अप. क्र. 317/19 पंजीबद्ध किया गया था।

प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा कई बार आरोपी तथा उससे संबंधित मुद्देमाल की तलाश की गयी, परंतु प्रकरण से संबंधित अभियुक्त एवं मोटरसाइकिल का कोई पता नहीं चलने की संभावना प्रकट हुयी। जिसके संबंध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा इंडेक्स भी प्रस्तुत की है। प्रकरण की विवेचना के दौरान पर्याप्त प्रयास करने के उपरांत भी प्रकरण से संबंधित अभियुक्त एवं मोटरसाइकल हीरो स्पेलेंडर प्लस एम.पी.–09 व्ही.टी. 8315 का पता नहीं चल पाया और ना ही निकट भविष्य में पता चलने की संभावना है, जिसके कारण यह खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

खात्मा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अग्रेषित है। प्रकरण में फरीयादी/सूचनाकर्ता को नोटिस जारी किये गये। फरीयादी/सूचनाकर्ता के कथन लिये गये जिसने खात्मा स्वीकार किये जाने में अनापत्ति की है। जिससे स्पष्ट है कि उसे खात्मा स्वीकार करने के संबंध में अनापत्ति है।

अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है और खात्मा की अनुमति प्रदान की जाती है।

मूल आवेदन अभिलेख पर रखा जाकर उसकी प्रतिलिपि एवं अनुसंधान डायरी संलग्न समस्त प्रपत्रों सहित संबंधित थाने को इस निर्देश के साथ वापस की जाये कि भविष्य में अभियुक्त के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर प्रकरण में विधिवत कार्यवाही करें।

केस डायरी वापस की जाये।

पत्रावली विहित समयावधि के भीतर अभिलेखागार में संचित हो।

(दिनेश मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इंदौर